UPBS120004322023

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

मूलवाद सं० 322/2023

पूनम बनाम उषादेवी आदि

20.07.2023

वाद पत्र प्रस्तुत हुआ। वादिनी/प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। कोई कैविएट दाखिल नहीं दर्शित है। प्रकरण मूल वाद के रूप में दर्ज हो।

प्रतिवादीगण को वास्ते वादोत्तर दिनांक–21–08–2023 एवं वाद विन्दु दिनांक–28–08–2023 के लिये समन जारी हो। वादिनी समन हेतु पैरवी करे।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र C–6

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादिनी/प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा–151 सी०पी०सी० मय शपथ–पत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र C–6 पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम दृष्टया एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किये जाने के पूर्व प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः एकपक्षीय निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

अतः विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/ निस्तारण प्रार्थना–पत्र C–6 हेतु दिनांक–05–08–2023 को पेश हो। वादिनी आवश्यक पैरवी करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिये विशेष वाहक कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादिनी पैरवी करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।